झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
सिविल रिट याचिका संख्या 7481 / 2017

भीखलाल कुम्हार, पुत्र स्वर्गीय छोटू कुम्हार, निवासी ग्राम:-धधखी टांर, डाकघर एवं थाना:- टुंडी, जिला:-धनबाद, राज्य:-झारखंड। **...याचिकाकर्ता**

बनाम

1. बिहार राज्य, अब झारखंड।
2. उपायुक्त, धनबाद, डाकघर + थाना एवं जिला :- धनबाद, झारखण्ड।
3. अपर. कलेक्टर, धनबाद, डाकघर + थाना एवं जिला :- धनबाद, झारखण्ड।
4. अंचल अधिकारी, टुंडी, डाकघर + थाना :- टुंडी, एवं जिला :- धनबाद, झारखण्ड।
5. जिला मत्स्य विकास पदाधिकारी सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, धनबाद, डाकघर + थाना एवं जिला :- धनबाद, झारखण्ड, झारखण्ड।

... प्रतिवादी

याचिकाकर्ता की ओर से: श्री महेश तिवारी, अधिवक्ता
प्रतिवादियों की ओर से: श्री अमितेश कुमार गेसन, ए.सी. टू एएजी आई.ए.

प्रस्तुत

माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वारा:- दोनों पक्षों को सुना।

2. यह रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अन्य बातों के साथ-साथ उचित रिट/आदेश/निर्देश जारी करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है, जिसमें निषेध रिट सहित प्रतिवादी विशेषकर प्रतिवादी संख्या 5 को ग्राम-धधकी-टांड़, पीएस-टुंडी, जिला-धनबाद में स्थित 'टुंडी खास-बांध (टैंक)' की नीलामी करने से रोकने की प्रार्थना की गई है, जिसमें खाता संख्या 4 के अंतर्गत प्लॉट संख्या 33 और 34 है, जिसका क्षेत्रफल 2.17 एकड़ है, जिसका विवरण इस रिट याचिका की अनुसूची बी में पूर्ण रूप से दिया गया है और उक्त टैंक के संबंध में अत्यंत अल्पकालिक नीलामी नोटिस को रद्द करने की प्रार्थना की गई है, जो दिनांक 16.08.2017 के अत्यंत अल्पकालिक नीलामी नोटिस के आइटम संख्या 9 में है, जिसकी प्रति इस रिट याचिका के अनुलग्नक-3 में रखी गई है और अन्य राहतें दी गई हैं।

3. मामले का संक्षिप्त तथ्य यह है कि वर्ष 1985 में प्रतिवादी संख्या 4, टुंडी अंचल का अंचल अधिकारी होने के नाते, एक निजी व्यक्ति बनारसी पंडा को उक्त तालाब का अधिग्रहण गलत तरीके से करने का प्रयास किया। याचिकाकर्ता ने अपर समाहर्ता, धनबाद के समक्ष याचिका दायर कर विविध याचिका संख्या 08/1985 के तहत उक्त तालाब की बंदोबस्ती पर रोक लगाने की प्रार्थना की। अपर समाहर्ता,

धनबाद ने अपने आदेश दिनांक 26.02.1986 के तहत उक्त याचिका को खारिज कर दिया और तालाब की कथित बंदोबस्ती की पुष्टि की। इसके बाद याचिकाकर्ता ने विद्वान आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर, हजारीबाग के समक्ष विविध सैराट याचिका संख्या 46/1986 के तहत पुनरीक्षण याचिका दायर की, जिसे विद्वान आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर, हजारीबाग ने भी अपने आदेश दिनांक 24.11.1986 के तहत खारिज कर दिया; यद्यपि उक्त तालाब, जिसमें इसकी रिज भी शामिल है, जो इस रिट याचिका का विषय है, कभी भी राज्य में निहित नहीं था और यह याचिकाकर्ता के रैयती अधिकार में था और याचिकाकर्ता अपने पूर्ववर्ती के समय से बिहार (अब झारखंड) राज्य को किराया देकर उस पर शांतिपूर्ण कब्जे में है। फिर यह कहा गया है कि बिहार राज्य (अब झारखंड) या उसके अधिकारियों को उक्त तालाब की नीलामी करने का कोई अधिकार नहीं था। याचिकाकर्ता ने प्रतिवादियों को सी.पी.सी. की धारा 80 के तहत नोटिस जारी किया, लेकिन प्रतिवादी तालाब पर कब्जा करने पर अड़े रहे। याचिकाकर्ता ने मुंसिफ-II, धनबाद की अदालत में टाइटल सूट नंबर 04/1987 दायर किया और मुंसिफ-II, धनबाद ने उक्त मुकदमे में अपने दिनांक 06.02.1990 के फैसले में याचिकाकर्ता के पक्ष में मुकदमा सुनाया और घोषित किया कि याचिकाकर्ता के पास अनुसूची-बी में वर्णित संपत्तियों के रैयती अधिकार हैं और मुकदमे के प्रतिवादियों के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा भी दी, जो इस रिट याचिका के प्रतिवादी भी हैं, जो उन्हें उक्त संपत्तियों पर याचिकाकर्ता के अधिकार और कब्जे में हस्तक्षेप करने के लिए कोई भी कार्रवाई करने से रोकते हैं। मुंसिफ-II, धनबाद द्वारा दिनांक 06.02.1990 को पारित उक्त निर्णय और डिक्री को चुनौती नहीं दी गई है और यह अंतिम रूप ले चुका है और प्रतिवादियों पर बाध्यकारी है।

4. इसलिए, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने दलील दी है कि इस रिट याचिका में की गई प्रार्थना को स्वीकार किया जाना चाहिए।

5. प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने दलील दी है कि विचाराधीन तालाब बिहार सरकार के नाम पर पंजीकृत है। इसके बाद दलील दी गई है कि राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने 09.02.2007 को अधिसूचना जारी करके छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 83 (2) के तहत धादकीडीह के मौजा नंबर 42 को अधिसूचित किया है। इसके बाद दलील दी गई है कि अधिसूचना के 11 (ग्यारह) साल बाद भी कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। इसलिए, दलील दी गई है कि इस रिट याचिका को बिना किसी योग्यता के खारिज किया जाना चाहिए।

6. बार में किए गए प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतीकरणों को सुनने और रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्रियों को ध्यान से देखने के बाद, निर्विवाद तथ्य यह है कि मुंसिफ-II, धनबाद ने दिनांक 06.02.1990 के अपने फैसले के माध्यम से शीर्षक वाद संख्या 04/1987 में बिहार (अब झारखंड) राज्य के खिलाफ याचिकाकर्ता के वाद को लागतों के साथ डिक्री किया है और संबंधित भूमि पर याचिकाकर्ता के रैयती अधिकार की घोषणा की है। अब, यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टियां उन व्यक्तियों के पक्ष में कोई शीर्षक नहीं बनाती हैं जिनके पक्ष में ऐसी प्रविष्टियां की गई हैं। ऐसी परिस्थितियों में जब याचिकाकर्ता का अधिकार, शीर्षक और हित एक सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा उस भूमि के संबंध में घोषित किया गया है, जो इस रिट याचिका का विषय है, इसलिए, निश्चित रूप से, इस न्यायालय को यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है

7. तदनुसार, इस न्यायालय का विचार है कि यह एक उपयुक्त मामला है, जिसमें प्रतिवादियों विशेष रूप से प्रतिवादी संख्या 5 को ग्राम-धधकी-टांड़, थाना-टुंडी, जिला-धनबाद में स्थित 'टुंडी खास-बांध (टैंक)' की नीलामी करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा जारी की जाए, जिसके खाता संख्या 4 के अंतर्गत प्लॉट संख्या 33 और 34 है, जिसका क्षेत्रफल 2.17 एकड़ है, जिसका विवरण इस रिट याचिका की

अनुसूची बी में पूर्ण रूप से दिया गया है और इस निर्विवाद तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सक्षम सिविल न्यायालय ने उक्त टैंक पर याचिकाकर्ता के अधिकार, शीर्षक और हित की घोषणा की है, इसलिए, यह एक उपयुक्त मामला है, जिसमें उक्त टैंक के संबंध में दिनांक 16.08.2017 की अत्यंत अल्पकालिक नीलामी सूचना को रद्द करने के लिए परमादेश रिट जारी की जाए, जो केवल आइटम संख्या 9 में स्थान पाती है।

8. तदनुसार, प्रतिवादियों विशेष रूप से प्रतिवादी संख्या 5 को धनबाद जिला के टुंडी थाना क्षेत्र के धधकी-टांड़ गांव में स्थित 'टुंडी खास-बांध (टैंक)' की नीलामी करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा जारी की जाए, जिसके खाता संख्या 4 के अंतर्गत प्लॉट संख्या 33 और 34 है, जिसका क्षेत्रफल 2.17 एकड़ है, जिसका विवरण इस रिट याचिका की अनुसूची बी में पूर्ण रूप से दिया गया है और साथ ही उक्त टैंक के संबंध में दिनांक 16.08.2017 की अत्यंत अल्पकालिक नीलामी सूचना को रद्द करने के लिए परमादेश रिट जारी की जाए; जो केवल उक्त अत्यंत अल्पकालिक नीलामी सूचना के मद संख्या 9 में ही स्थान पाती है।

9. तदनुसार इस रिट याचिका को अनुमति दी जाती है।

(अनिल कुमार चौधरी, न्यायाधीश)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
दिनांक 18 , जनवरी 2024
एएफआर/अनिमेश

यह अनुवाद अधिवक्ता ज्ञान रंजन, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।